RAJ KUMAR MAURYA
Assistant Professor, Political Science
G. J. College, Rambagh, Bihta, Patna
B.A. I Year (H.) Paper-I
Political Science

विषय - आस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धान्त (Austin's theory of Sovereignty)

जॉन आस्टिन के द्वारा राजनीति विज्ञान में दिया गया उनका सबसे बड़ा योगदान प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धान्त है। आस्टिन के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हैं, इन परिस्थितियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जॉन आस्टिन ने "सकारात्मक कानून" या Positive law का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इस सकारात्मक कानून का सम्बन्ध कानूनी प्रभुसत्ता से है। आस्टिन के अनुसार जो कानून न्याय और लोक-कल्याण को ध्येय में रखता है तथा सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण करता है, इस प्रकार का कानून सम्प्रभुताधारी की इच्छा को प्रकट करता है।

Scanned with CamScanner

प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक विवेक के आधार पर बने हुए कानूनो को आस्टिन के द्वारा अस्वीकृत किया गया / उनके अनुसार कानूनों का आधार अर्थशास्त्र, विज्ञान या सदाचार को नहीं बनाया जा सकता /

आस्टिन के अनुसार कानून के लिए निम्नलिखित आधार होने चाहिए /

- कानून की उत्पत्ती ~~होने~~ का आधार ऐसा हो जो निर्णय लेने में सक्षम हो /
- इस नियम में आदेशों की भी अभिव्यक्ती का होना निश्चित हो /
- इन आदेशों का उल्लंघन होने पर दण्ड की व्यवस्था होना चाहिए /

अतः आस्टिन सकारात्मक कानूनों का समर्थन करते है / सकारात्मक कानून या Positive Law की परिभाषा देते हुए आस्टिन कहते है " ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्तासंपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय नें स्वाधीन राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों के लिए निर्धारित किया हो, शर्त यह

Scanned with CamScanner

है कि कानून बनाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय उस समाज में सर्वसत्तासम्पन्न या सर्वोच्च हो।" (गाबा, 2019)

यदि राज्य द्वारा निर्मित कानून (सकारात्मक-कानून) ईश्वरीय कानून तथा समाज द्वारा निर्मित कानूनों का उल्लंघन करता है, तो भी इस प्रकार की स्थिति में राज्य द्वारा निर्मित विधि को उचित या मान्य विधि स्वीकार करना चाहिए।

आस्टिन के अनुसार "यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपने जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा ~~मानन~~ मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में "प्रभुसत्ताधारी" कहेंगे और (इस सत्ता समेत) उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा।" (गाबा, 2019)

प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार सम्प्रभुता किसी राज्य की आत्मा है। सम्प्रभुता के बिना ~~कोई भी स~~ किसी भी प्रकार के समाज को राज्य का दर्जा

Scanned with CamScanner

नहीं दिया जा सकता है।

आस्टिन का सम्प्रभुता सम्बन्धी यह सिद्धान्त राज्य को समाज में विद्यमान सभी संस्थाओं से सर्वोच्च मानता है और कारण से यह सिद्धान्त समाज की सभी संस्थाओं के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य को देता है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है अतः व्यक्ति व संस्थाएँ श्रेष्ठता की दृष्टि से कभी राज्य की बराबरी नहीं कर सकती है। कोई भी नियम राज्य द्वारा वैधता प्राप्त करने के पश्चात ही कानून का रूप धारण करता है चूँकि राज्य की सत्ता सर्वोपरि है इसलिए यह अपने कर्तव्यों के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए जवाबदेह नहीं है। राजनीतिक दलों, चर्च, स्कूल, परिवार, समाज रूपी संस्थाओं से राज्य सर्वोच्च है इसलिए राज्य के प्रति नागरिकों की निष्ठा प्रथम होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

सम्प्रभुता के लक्षण —

आस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता के निम्नलिखित लक्षण है/

1 ⇒ पूर्णता - Absoluteness

2 ⇒ सार्वभौमिकता - Universality

3 ⇒ अदेयता - Inalienability

4 ⇒ स्थायित्व - Permanence

5 ⇒ अविभाज्यता - Indivisibility

1 ⇒ पूर्णता — सम्प्रभुता अपने आप में सम्पूर्ण और असीम है। राज्य किसी और से अपनी शक्ति नही को नही प्राप्त करता है अर्थात राज्य अपनी शक्ति का स्रोत स्वयं है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्प्रभु राज्य को सर्वोच्च माना जाता है। अर्थात अन्य राज्य उस सम्प्रभु राज्य के ~~आ~~ आन्तरिक मामलों दखलंदाजी नहीं कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतो को

Scanned with CamScanner

सम्प्रभु राज्य के ऊपर बलपूर्वक नहीं थोपा जा सकता है वह अपनी इच्छा से ही किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा बनता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी सम्प्रभु राज्य की इच्छा से उस पर लागू होता है।

सार्वभौमिकता

सम्प्रभु राज्य अपने भीतर विद्यमान समूहों, संस्थाओं और व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। ये सभी अंग राज्य के नियन्त्रण से मुक्त नही हो सकते है। राज्य अपने सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वशक्तिशाली और एकमात्र अधिकारी है। किसी विदेशी राजनायिकों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण प्राप्त है। यदि राज्य चाहे तो अपनी सम्प्रभुता के कारण ऐसा विशेषाधिकार प्रदाने करने मना भी कर सकता है।

अदेयता

चूंकि सम्प्रभुता अखण्ड है ~~इसलिए~~ इसलिए किसी और को यह प्रदान नहीं किया जा सकता है, यदि एक राज्य की सम्प्रभुता को समाप्त किया जाता है तो इसी के साथ उस राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यदि कोई सम्प्रभुता सम्पन्न व्यक्ति पदत्याग करता है तो सम्प्रभुता समाप्त नही होता बल्कि ~~बदले~~ नये पदग्रहण करने वाले व्यक्ति के साथ बरकार रहती है,

स्थायित्व

सम्प्रभुता और राज्य ~~का~~ दोनों ही स्थायी ~~सम्बन्ध~~ ~~होता~~ है। सम्प्रभुता के साथ ही राज्य का स्थायी सम्बन्ध है, सम्प्रभुता के बिना राज्य का कोई ~~स्थायी~~ अस्तित्व नहीं है। जिस तरह किसी देश में सरकार का परिवर्तन होने के बाद भी राज्य कायम रहता है, उसी तरह सम्प्रभुता भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है,

Scanned with CamScanner

अविभाज्यता

सम्प्रभुता के टुकड़े नहीं किए जा सकते है क्योंकि यदि इसको विभाजित किया जाएगा तो राज्य भी विभाजित हो जाएगा, यदि कोई राज्य संघीय व्यवस्था वाला है, तो वहाँ भी प्रभुसत्ता का विभाजन नही होता है।

Scanned with CamScanner